न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. कानजी पिता गलिया, जाति भील, निवासी गांव रामगढ़, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. हुरजी पिता गलिया, जाति भील, निवासी गांव रामगढ़, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. रमेश पिता स्व. भलिया, जाति भील, निवासी गांव रामगढ़, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती काली बेवा स्व. भलिया, जाति भील, निवासी गांव रामगढ़, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती कडवी बेवा जगतु, जाति भील, निवासी गांव रामगढ़, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती समसु पुत्री जगतु (लालु), जाति भील, निवासी गांव रामगढ़, हाल नवा खेड़ा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा दिनांक
12.06.2015 प्रकरण संख्या 27/2010

———/———

उपस्थित :– 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 2

———::———

निर्णय दिनांक 27–06–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की आराजी नंबर 92, 127, 140, 143, 144, 145, 189, 225, 485/125 कुल किता 9 रकबा 25 बीघा भूमि ग्राम रामगढ़ में स्थित है, जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की चाची है तथा वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की चचेरी बहन होकर एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त भूमियां बड़े भाई खेमजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

पिता जाला के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जिस पर वादीगण अपने पिता के समय से काश्त करते चले आ रहे हैं। खेमजी के देहावसान के बाद भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति गलिया ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खेमजी का एक मात्र वारिस बताकर नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 23–11–1977 को अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जबकि वादीगण का बराबर हिस्सा होकर अपने हिस्से अनुसार काबिज चली आ रही हैं। अतः उक्त आराजीयात का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–06–2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–05–2016 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब दिनांक 30–04–2016 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 अपने परिवार के सदस्यों के साथ विवादित भूमि पर आये एवं झगड़ा करने लगे, तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में जवाबदावे का उल्लेख नहीं किया है तथा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए मात्र रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण को सुनकर उनका वाद डिक्री कर दिया, जिससे अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। विवादित भूमि पर अपीलान्टगण का कब्जा होकर वह अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का विवादित आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है, न

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

ही उनका कब्जा है, कब्जा अपीलान्टगण का चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्यों का विवेचन किये तथा बिना अपीलान्टगण को सुने वादीगण के पक्ष में एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श ए–2 जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 में विवादित आराजी नंबर 92, 127, 140, 143, 144, 145, 189, 225, 485/125 कुल किता 9 रकबा 25 बीघा भूमि खेमजी पिता जाला भील के नाम दर्ज है एवं प्रदर्श ए–1 जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में उक्त आराजियात अपीलान्टगण के नाम दर्ज हैं, जबकि वाद पत्र के साथ संलग्न सजरे अनुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पति/पिता जगतु अपीलान्टगण के पिता गलिया के सगे भाई हैं। वादीगण ने स्वयं के शपथ पत्र के साथ स्वतंत्र गवाह कालिया पिता जोखिया एवं होमजी पिता होकमा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिनके अनुसार उक्त आराजियात बडे भाई खेमजी पिता जाला के नाम दर्ज होना एवं वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा अपने पिता के समय से होना साबित है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी उक्त शपथ पत्रों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए उन्हें विवादित आराजियात का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 12–06–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰ ....

कानजी पिता गलिया भील, निवासी गांव रामगढ़, तहसी आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	श्रीमती कडवी बेवा जगतु भील, निवासी गांव रामगढ़, तहसी आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं॰......10/2016...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....बांसवाड़ा........... मुकाम...............मुवर्खे............12..............माह.............06............2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........27....माह........06....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री जयेन्द्र पुरोहित.....मिनजानिब अपीलान्ट व........श्री मुकेश द्विवेदी

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 12—06—2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......27.......माह.......06..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर [illegible] कुल [illegible] अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested